>

Title: Need to frame rules and regulations for Pre-Primary Schools in the country -laid.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में प्री-प्राइमरी स्कूल के शुरू करने एवं संचालित करने के लिए कोई विशेष संशोधित कानून की व्यवस्था की जाए । इन स्कूलों में 3 वर्ष से 6 वर्ष के छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं और इनके भविष्य की शिक्षा का आधार इन्हीं स्कूलों में तैयार होता है । यदि हम छोटे बड़े शहरों में जाए तो इस तरह के प्री-प्राइमरी स्कूल बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं । इन स्कूलों में बच्चों के मार्गदर्शन हेतु सरकार को उचित कानून बनाने की आवश्यकता है । सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि प्री-प्राइमरी स्कूल को भी सरकारी संगठनों से एफिलेएशन लेने की आवश्यकता हो । इससे इन स्कूलों की जिम्मेवारी बढ़ेगी और शिक्षा के प्रति अधिक सजग रहेंगे । कई बार देखा गया है कि बडे एजुकेशनल ग्रुप जो इन स्कूलों के लिए फ्रेंचाइज देते हैं उनमें फीस लेने की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की होती हैं । कई स्थानों में डे-बोर्डिग व्यवस्था है जिसमें बच्चों को नाश्ता और खाना दिया जाता है । कई बार सुनने में आता है कि बच्चे स्कूल का खाना खाकर बीमार पड़ गए हैं । मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्री-प्राइमरी स्कूल को शुरू करने, संचालित करने, फीस और डे-बोर्डिग है तो उसके तहत सरकार एक विशेष कानून बनाएं जिसमें व्यवस्था हो कि जो प्री-प्राइमरी स्कूल चल रहे है वह सरकार के नियमों के तहत संचालित हो और बच्चों के भविष्य को एक नया आधार मिले । अच्छा होगा यदि नई शिक्षा नीति में इस विषय को शामिल कर लिया जाए और पूरे देश में एक जैसा कानून हो ।